न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/विशेष न्यायालय नं0–1, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), गोण्डा।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1990/2026

CNR No. UPGD010053532026

इमरान पुत्र लईक अहमद उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी रसीद नगर गली नं0–8 लिसाड़ी गेट, थाना–लिसाड़ी गेट जनपद–मेरठ---प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य--अभियोगी

अपराध संख्या–369/2026
धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2), 3(5), 61(2)(A) बी0एन0एस0
थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा

19.08.2026

अभियुक्त **इमरान** ने अपराध संख्या–369/2026, धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2), 3(5), 61(2)(A) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो माननीय न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, न ही निरस्त अथवा निस्तारित हुआ है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोग कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय कुमार रस्तोगी पुत्र दर्शनलाल ददुवा बाजार (सोनार गली) शहर गोण्डा का निवासी है। नवम्बर 2025 में प्रतिदिन की भांति समाचार पत्र घर आया तो उसको खोलते ही उसमें एक पर्चा निकला जिसमें शिव शक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संचालक पण्डित राम स्वरूप शर्मा मोबाइल नं0 9557632509 लिखा था। प्रार्थी ने पारिवारिक स्वास्थ्य के तथा समस्या के निदान के लिए उक्त नम्बर पर सम्पर्क किया तो प्रार्थी को गोण्डा भाजपा कार्यालय तथा मारूती सुजुकी एजेन्सी के पास अपने कार्यालय में बुलाया, प्रार्थी से समस्याओं के निदान के लिए कुछ पूजा पाठ कराने की बात कही, प्रार्थी ने बताई गयी सामग्री व रूपया दिया, तब 42 दिन तक पूजा पाठ अपने उसी कार्यालय पर किया जिसमें 02 लोग रहते थे। बाद में पूजा के दौरान यह कहकर कि कुछ पूजा आपके घर पर करना है, दोनों लोग सफेद वस्त्र पहनकर प्रार्थी के घर पर आए और 27 से 30 मार्च 2026 तक प्रार्थी के घर पूजा किया, जिसमें प्रार्थी के घर व दुकान का 750 ग्राम सोने का जेवरात, 750 ग्राम चांदी शुद्ध तथा तांबा, पीतल को प्रार्थी से लेकर एक स्टील के डिब्बे में रखकर पूजास्थल पर रख लिया तथा पूरे परिवार को पूजा स्थल पर बैठाकर कुछ देर बाद प्रार्थी के जेवरात वाले डिब्बे को जिस कलश में रखा था उसे खोलकर उसमें एक काला सांप दिखाया जो फन उठाकर खड़ा हो गया जिससे प्रार्थी व उसका परिवार डर गया। उक्त

Digitally signed by NITYA PANDEY
Date: 2026.08.19 16:08:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुजारी ने प्रार्थी व उसके परिवार को डराकर कहा कि देवता तुम्हारे परिवार पर बहुत नाराज है, सभी लोग तुरन्त अपने–अपने कमरे में जाओ, कमरे में हम सभी चले गये, कुछ देर बाद बुलाकर कहा कि रूपया लाओ, प्रयाग गंगा तट पर कुछ पूजा करना पड़ेगा, 02 लाख की मांग पर प्रार्थी ने मना किया तो धमकाया कि जल्दी रूपया दो, वरना बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, प्रार्थी ने 02 लाख दिया। दोनों पुजारियों ने अपने कथित गुरू को प्रार्थी के घर बुलाया जो ग्रान्ड आई 10 नियांस हुन्डई कार सफेद रंग की नम्बर UK07FM1761 से 02 लोग आये और अन्य पूजा प्रयाग में करने की बात कहकर चारों लोग चले गये और यह कहकर आये कि पूजा स्थल के आस पास कोई भी मत जाना और न ही कुछ खोलकर देखना। कई दिन बीतने पर जब पुजारी लोग वापस नहीं आए, फोन भी रिसीव करना बन्द कर दिये, प्रार्थी ने आशंका होने पर कमरे का ताला खोलकर परिवार सहित पूजा स्थल को देखा तो वहां प्रार्थी के उक्त सारे जेवरात गायब थे। अपने साथ हुई इस घटना से प्रार्थी व उसका परिवार अत्यन्त दुखी है, सबकी हालत खराब है।

वादी मुकदमा संजय कुमार रस्तोगी द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर थाना–कोतवाली नगर, गोण्डा मे दिनांक 27.04.2026 को उपरोक्त अपराध संख्या पर धारा–318(4) बी0एन0एस0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण शिवशक्ति ज्योतिष व आध्यात्मिक अनुसंधान संचालक पण्डित राम स्वरूप शर्मा व 04 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुई।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र मे यह कहा गया है कि वह बेगुनाह है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतयाः निराधार व झूठा है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई घटना कारित नहीं की है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो नामजद है, न ही उनका नाम पंडित रामस्वरूप शर्मा है न ही शिवशक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केन्द्र का संचालक है और न ही उसका मोबाइल नम्बर 9567632509 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब के साथ दर्ज कराई गई है। घटना 27 व 30 मार्च 2026 की बताई गई है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.04.2026 को दर्ज कराई गई है। विलम्ब का कोई उचित कारण नही बताया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा रूपया किसको दिया गया है यह भी नही बताया गया है, न ही उसके द्वारा दिये गये सोना, चाँदी, लोहा, तांबा किसको दिया गया है यह भी नही बताया गया है। कितना रूपया कब और कैसे दिया। न तो वह ज्योतिषी है न ही पूजा पाठ के बारे में जानकारी रखता है, बल्कि वह मुस्लिम धर्म का है और उसकी कोई आफिस मारूती चौराहा शहर गोण्डा में नही है। वह न तो कभी शिकायतकर्ता के घर गया है, न ही शिकायतकर्ता को पहचानता है, न ही शिकायतकर्ता से उसकी मुलाकात ही हुई है, बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी उसकी कोई शिनाख्त शिकायतकर्ता से विधिक रूप से नही कराई गई। वादी मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट में सिर्फ दो लोग से मुलाकात तथा दो लोग पूजा–पाठ करवाना बताया गया है। वह उनमें से नामजद नही है। जबकि पुलिस द्वारा फर्जी लोगों को फंसाया गया है। उसने न तो कोई कूटरचना किया है न ही कोई आपराधिक षडयन्त्र किया है। शिकायतकर्ता द्वारा जिस शिवशक्ति ज्योतिष्य एवं अध्यात्मिक अनुसंधान केन्द्र का संचालक का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है वह न तो उसके नाम से दर्ज है न

उसके कब्जे से कोई वस्तु बरामद हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा रूपया नगद तथा 750 ग्राम सोना, 750 ग्राम चॉदी, पीतल, लोहा, कथित ज्योतिषी द्वारा ले जाना बताया गया है लेकिन उक्त वस्तुओं में से कोई भी वस्तु उसके पास से बरामद नही हुआ है। उसकी गिरफ्तारी मु०अ०सं० 369/2026 में दिनांक 07.05.2026 को हुई है, जबकि उसको पुलिस ने दिनांक 04.05.2026 को खोड़ारे के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से कोई बरामदगी नही हुई है सिर्फ 2500/– रूपया नकद व मोबाइल फोन उसके पास से बरामद हुआ था, उपरोक्त मुकदमें की फर्द बनावटी एवं फर्जी है, जिसका कोई स्वतन्त्र साक्षी भी नही है। वह दिनांक 07.05.2026 से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। उक्त कथनों के साथ जमानत की मांग की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 07.05.2026 को 04 सहअभियुक्तगण के साथ किया जाना फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी अभियुक्तगण में अंकित है। अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय उनके कब्जे से एक अद्द मॉग टीका पीली धातु, एक जोड़ी झुमकी पीली धातु, एक अद्द अंगूठी पीली धातु, 16 जोड़ी बिछुआ सफेद धातु, एक जोड़ी पावजेब सफेद धातु, 05 जोड़ी पायल सफेद धातु, एक जोड़ी लड़ी वाली बिछुआ सफेद धातु, एक अद्द नग अंगूठी सफेद धातु, 05 अद्द कूटरचित निर्वाचन पहचान कार्ड, विभिन्न कम्पनी के 25 अद्द कीपैड मोबाइल फोन, 05 अद्द स्पेयर मोबाइल बैटरी, 13 अद्द मोबाइल चार्जर, एक अद्द हुंडैई आई 10 कार कूटरचित रजिस्ट्रेशन नम्बर यू0के0 07एफ0एम0 1761 सम्बन्धित मु0अ0सं0 369/2026 बरामद होना अंकित है। इस प्रकार अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद उक्त सामग्री व कूटरचित नम्बर प्लेट लगी कार इत्यादि के आधार पर इस तथ्य का साक्ष्य पाते हुए कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपनी वास्तविक पहचान छिपाने हेतु कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गिरोह बनाकर सुनियोजित रूप से अलग–अलग जनपदो में कुछ दिनों तक रूककर पम्पलेट वितरित किया जाता था तथा विश्वास स्थापित होने पर लोगों को अंधविश्वास एवं धार्मिक भय दिखाकर करोड़ो रूपये के आभूषण एवं नकदी की ठगी की जाती थी, अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर कारित अपराध आकस्मिक न होकर पूर्व नियोजित एंव संगठित अपराध होना पाते हुए विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त के साथ–साथ अन्य 05 अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा 03 अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना अभी प्रचलित है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए उसे फर्जी फंसाये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध

गंभीर प्रकृति का है एवं आजीवन कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरे मत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **इमरान** द्वारा अपराध संख्या–369/2026, धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2), 3(5), 61(2)(A) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के प्रकरण मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(श्रीमती नित्या पाण्डेय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश/विशेष न्यायालय नं0–1
(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), गोण्डा।

दिनांक 19.08.2026